न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./52/2025

1. जगदीश पुत्र श्री निरासी जाति माली निवासी उपाध्याय पाडा नदबई जिला भरतपुर
2. चन्द्रशेखर पुत्र श्री गिरधर जाति माली निवासी उपाध्याय पाडा नदबई जिला भरतपुर

..........प्रार्थी0

बनाम

1. परभाती पुत्र श्री किशन जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास उपाध्याय पाडा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. श्री गंगाधर मीना उपखण्डाधिकारी नदबई पीठासीन अधिकारी

...... अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध श्री गंगाधर मीना उपखण्ड अधिकारी नदबई वमुकदमा संख्या–59/2021 उनवानी परभाती बनाम जगदीश वगै0

उपस्थितः–

1–श्री प्रदीप चौधरी, अभिभाषक प्रार्थी0,

दिनांक 08.10.2025

निर्णय

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ उपखण्डाधिकारी नदबई इस आशय का पेश किया गया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 मुकदमा संख्या 59/2021 उनवानी परभाती बनाम जगदीश वगै0 न्यायालय उपखण्डाधिकारी नदबई में लम्बित है। उक्त मुकदमे में पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं तथा प्रकरण में नजदीक तारीख पेश दे रहे हैं। पीठासीन अधिकारी गैरप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने को उतारू हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को उपखण्डाधिकारी नदबई से बात करते हुये एवं उनके चैम्बर से कई बार निकलते हुये देखा है। इस आधार पर विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को यह धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई से हमारी बातचीत हो गई हैं मुकदमे का फैसला एन केन प्रकारेण अपने हक में करवा कर रहूंगा। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी0 के पक्ष की ओर प्रमाणित है। प्रार्थी0 को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी नदबई में विचाराधीन मुकदमा संख्या 59/2021 उनवानी परभाती बनाम जगदीश वगै0 को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी नदबई से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई।

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक प्रार्थी की एकतरफा में बहस सुनी गई। योग्य अभिभापक प्रार्थी0 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि पीठासीन अधिकारी उक्त मुकदमे में पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं तथा प्रकरण में नजदीक तारीख पेश दे रहे हैं। पीठासीन अधिकारी गैरप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने को उतारू हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को उपखण्डाधिकारी नदबई से बात करते हुये एवं उनके चैम्बर से कई बार निकलते हुये देखा है। इस आधार पर विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को यह धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई से हमारी बातचीत हो गई हैं मुकदमे का फैसला एन केन प्रकारेण अपने हक में करवा कर रहूंगा। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी0 के पक्ष की ओर प्रमाणित है। प्रार्थी0 को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी नदबई में विचाराधीन मुकदमा संख्या 59/2021 उनवानी परभाती बनाम जगदीश वगै0 को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी नदबई से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। उपखण्डाधिकारी नदबई ने टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं। विचाराधीन मुकदमे में पूर्ण निष्पक्ष रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है। अप्रार्थी0 की उपखण्डाधिकारी नदबई से कोई बातचीत नहीं है। प्रार्थी मुकदमे का निस्तारण नहीं होने देना चाहते है। प्रार्थी ने तहत न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे को देरीना करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया किया। उपखण्डाधिकारी नदबई से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी हो सके। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्डाधिकारी नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर